न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अभिषेक गोयल, R.A.S.

प्रकरण संख्या :–164/2016 राजस्व–वाद

श्री उदयलाल पिता भंवरलाल जी जाति यादव आयु 60 वर्ष निवासी देलवाडा तहसील नाथद्वारा।

–– वादी

बनाम

1. श्री चांदमल पिता देवीचन्द जी जाति माहेश्वरी महाजन आयु वयस्क निवासी सेमल तहसील नाथद्वारा (मृतक के बजाय)

   1/1. मनोहर बाई पत्नी डालचन्द जी

   1/2 कालुलाल पिता स्व. रतनलाल जी

   1/3 चौथमल पिता स्व रतनलाल जी

   1/4 मुरलीधर पिता स्व. रतनलाल जी

   1/5 श्यामलाल पिता स्व रतनलाल जी

   1/6 राधा पिता स्व. रतनलाल जी

   1/7 रूकमण पिता स्व रतनलाल जी

   1/8 लक्ष्मी पिता स्व. रतनलाल जी

   1/9 गोपाल पिता स्व. जगदीश जी

   1/10 ललित पिता स्व. जगदीश जी

   1/11 किशोर पिता स्व. जगदीश जी

   1/12 शांता बाई पत्नी स्व. जगदीश जी

   सभी जाति माहेश्वरी निवासी सेमल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

<u>राजस्व वाद :– विभाजन कृषि भूमियां</u>

उपस्थित : 1. अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी उपस्थित।

2. अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/3 श्री दुर्गेश प्रजापत उपस्थित।

: : निर्णय : :

दिनांक :– 07.01.2020

अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/3 उपस्थित। तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/3 को कोई आपत्ति नही है। अतः अधिवक्ता वादी का वाद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सेमल, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की आराजी सं. 3481 मी. रकबा 04–15 बीघा लगान 3.80/– एवं आराजी सं. 3481/1 रकबा 0–05 बीघा लगान 0.20/– कुल आराजी किता 2 कुल रकबा 05–00 बीघा कुल लगान 4.00/– मे उदयलाल पिता भंवरलाल यादव सा. देलवाडा, आराजी सं. 3481/2 रकबा 0–13 बीघा लगान 0.52/– मे मनोहरबाई पत्नी डालचंद 1/2 कालुलाल चौथमल मुरलीधर श्यामलाल राधा रूकमण लक्ष्मी 7/16 गोपाल ललित किशोर पिता जगदीश शांता बाई पत्नी जगदीश 1/16 महाजन सा. देह खातेदार के नाम अलग–अलग खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी हो। नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2020.01.08 17:46:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: